



22/05/25 पहावली सीमान राजस्व मंडल बालरखान, अजमेर का निर्णय दिनांक 13/02/25 आया होकर पेशा हुई। पहावली का अवलोकन किया। पहावली के अवलोकन से जाहीर आया की धार्मिकी वेणु काया अपनी खातेदारी खमि पर जाने के लिए रास्ते पर कराने के लिए डा.पम अन्तर्गत ए/रा 251 न.र.ग.सि. के तहत प्रस्तुत किया। उकरवा के विचार हीन रहते हुए ही धार्मिकी वेणु काया अपनी खातेदारी की खमि को खेमराज पिता नाथु को विक्रय कर दिया गया। श्री खेमराज पिता नाथु का न्यायालय हाज में डा.पम 01/10/22 प्रस्तुत कर धार्मिकी पक्ष में पसकर बनाया जाया। न्यायालय हाज काया डा.पम 01/10/22 स्वीकार कर धार्मिकी पक्ष में श्री खेमराज को पसकर बनाया गया। जिसकी अपील माननीय राजस्व मंडल बालरखान, अजमेर में की गई। माननीय न्यायालय काया न्यायालय हाज का जाहेरा उपारत किया गया। और केना / उमिगवाकार क्रम 01 अपनी खातेदारी खमि पर जाने जाने वागत नया रास्ता कायम करने हेतु विधिक प्राधानी के तहत सक्षम न्यायालय में चार जो ही करने के लिए स्वतंत्र ही न्यायालय का विनम्र अग्रिम है कि उक्त उकरवा के धार्मिकी काया को विक्रय कर दिया गया। तथा केना को पसकर न्यायालय हाज काया बनाया गया। जिससे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर काया खामिल कर दिया गया। केसे में उक्त दस्त उकरवा में कोई कार्यवाही कोष नही रहती है। अतः उकरवा को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। उपरत विवेचन के आधार पर दस्त उकरवा को रसीद कर दोप किया जाकर खामिल किया जाता है। पहावली केवल न्याय होकर नया से नही निर्णय करे जायास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
 (SDO) पहावली